अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं. [illegible]/2021

1. गोरधनराम
2. नेमाराम
3. किशनाराम
4. [illegible] वगैरह

RRT 2021/782

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलें जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	बंटवारा वाद धारा 88, 53, 188 RT Act	
17/11/2021	"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत चावण्डिया में आज कार्मिकों के समक्ष [illegible] 24 खसरा नं. मय 301 रकबा 11.360 हैक्टेयर के खातेदारान गोरधनराम, डालुराम, नेमाराम, भींयाराम, मोहनराम, मनीलाल, भंवरराम, लिखमाराम की ओर से भूमि का बंटवारा करवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में धारा वार 88, 53, 188 R.T Act के तहत प्रस्तुत किया। उक्त प्रपत्र में सभी खातेदारान ने अपनी सहमति दी। विपक्षी [illegible] ने अपनी लिखित जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत की। खातेदार किशनाराम विवाहित होने की जानकारी हुई किशनाराम के वारिसों के बयान दर्ज किये गये। सहमति अनुसार बंटवारा स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है। मौके पर उपस्थित पटवारी को [illegible] प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। [illegible] प्रस्तुत [illegible] एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुचामन सिटी को उक्त अनुसार बंटवारा [illegible] अमल दरामद कर प्रपत्र की प्रति [illegible] किया जाता है। पालना हेतु प्रति [illegible] निर्णय आज दिनांक 17/11/2021 को लोक अदालत कैम्प ग्रा.प. चावण्डिया में सुनाया गया।	RRT 2021/782 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 16:22:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)